न्याया० श्रीमान अध्यक्ष महो० राजस्व मण्डल म०प्र०

पुनरावलोकन R- 2857/2018/भोपाल/स्टाम्प

पुनर्स्थापना-5318/2018/भोपाल/स्टांप अभि

दिनांक 28.8.18

श्रीमति नीलम चौरसिया

—— पुनर्विलोकनकर्ता

V/s

Lakhan — — उत्तरवादी

आवेदन-पत्र पुनः नम्बर पर लेने बाबत

पुनर्विलोकनकर्ता की ओर से माननीय न्यायालय में निम्न निवेदन है :-

1) यह कि पुनर्विलोकनकर्ता का प्रकरण आज अंतिम बहस हेतु नियत है।

2) यह कि अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण माननीय न्याया० में 1-15 बजे पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि माननीय ने प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया है।

3) यह कि अस्वस्थ होने के कारण देरी से पहुंचा। अधिवक्ता ने जानबूझकर नहीं किया है।

अतः माननीय से प्रार्थना है कि पुनर्विलोकन को पुनः नम्बर पर लेने की कृपा करें, ऐसा न्याय हित में होगा।

पुनर्विलोकनकर्ता

(Bimlesh...)

Lakhan
28/8/18

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो० 5318/2018/भोपाल/स्टाम्प [illegible]

नीलम चौरसिया विरुद्ध शासन आदि

तहसील .... जिला भोपाल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक........ तहसील का प्रकरण क्रमांक........

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला .... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक........ के विरुद्ध श्री .... के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/........ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
28-8-18	आवेदक अभिभाषक श्री बी० एन० कोचर उप०। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर सुना गया। विचारोपरान्त रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया जावे। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। अध्यक्ष	

[पीछे देखिये